बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)
बिहार भू–अर्जन पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति–2007
संकल्प

लोक प्रयोजन के उद्देश्य से परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार भू–अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 के तहत भू–अर्जन करती रही है। अर्जनाधीन भूमि के मूल्य का निर्धारण एवं भूमि अधिग्रहण से विस्थापित होने वाले परिवारों को अतिरिक्त सुविधा दिये जाने से संबंधित बिहार भू–अर्जन पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति–2007 राजस्व विभागीय संकल्प सं0– 395/रा0, दिनांक 19.02.07 एवं यथा संशोधित संकल्प सं0– 747/रा0, दिनांक 13.05.08 द्वारा निर्गत एवं संसूचित है।

2. उक्त संकल्प के निर्गत होने के पश्चात् कार्यान्वयन के क्रम में यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि संकल्प सं0– 747/रा0, दिनांक 13.05.08 की कंडिका– 1.1 की उपकंडिका– (ii) में अंकित संबंधित मौजे अथवा निकटवर्त्ती मौजों में किसी कारणवश क्रय–विक्रय पर किसी प्रकार का वैधानिक रोक, **अथवा** क्रय–विक्रय आँकड़ा, **अथवा** निबंधन के लिए न्यूनतम निर्धारित मूल्य अनुपलब्ध रहने पर अर्जनाधीन भूमि के मूल्य निर्धारण में कठिनाई महसूस की जा रही है एवं जिलों से इस संबंध में मार्गदर्शन की मांग की जा रही है। वर्णित परिस्थिति में उपर्युक्त यथा संशोधित संकल्प सं0 747/रा0, दिनांक 13.05.08 में कंडिका 1.1 के नीचे एक नई कंडिका सं0– 1.1 (क) जोड़ा जाना आवश्यक है।

3. अतः कंडिका– 1.1 के नीचे समाविष्ट की जाने वाली कंडिका– 1.1 (क) निम्नवत् जोड़े जाने का प्रस्ताव है :–

1.1 (क) जहाँ निम्नांकित कारणों से कंडिका– (1.1) के प्रावधान अप्रयुज्य हों–

(i) भूमि ऐसे मौजे में अवस्थित हो जहाँ भूमि में संव्यवहार उस मौजे में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अध्यधीन प्रतिबन्धित हों; या

(ii) कंडिका– (1.1) की उप कंडिका– (i) में विहित समरूप भूमि के पूर्वगामी तीन वर्षों के विक्रय दस्तावेज उपलब्ध नहीं हों, या

(iii) भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 में उचित प्राधिकार के द्वारा न्यूनतम भूमि मूल्य विनिर्दिष्ट नहीं हो,

ऐसी स्थिति में, जिस मौजे में भूमि अर्जन की जानी है, उसकी भूमि के मूल्य की गणना के लिए, उस मौजे की परिधि में उस मौजे से तत्काल सटे स्थित ऐसे मौजे को आधार बनाया जायेगा जहाँ कंडिका– 1.1 में उल्लिखित परिस्थितियाँ विद्यमान हों। यदि उक्त तत्काल सटे मौजे में कंडिका– 1.1 में उल्लिखित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हों, तो उसके बाद वाले सटे स्थित ऐसे मौजे को आधार बनाया जायेगा, जहाँ कंडिका– 1.1 में उल्लिखित परिस्थितियाँ विद्यमान हों।

उपर्युक्त मौजे की परिधि में आने वाले वैसे मौजे का दर अर्जनाधीन भूमि के दर के रूप में निर्धारित होगा, जो उसी परिधि के क्षेत्रान्तर्गत अर्जनाधीन भूमि के निकटतम होगा। प्रथम सम्व्यवहार में सटे हुये मौजे से ही दर लेने का प्रयास होगा। यदि उक्त मौजे में भी दर उपलब्ध नहीं हो तो उसके सटे मौजे से दर लिया जायेगा।

तदुपरान्त राज्य सरकार यथा उपर्युक्त आधार–बनाये गये क्षेत्र में अवस्थित समरूप प्रकार की भूमि का औसत विक्री मूल्य, जो पूर्वगामी तीन वर्षों के दौरान निबंधित कम से कम 50 प्रतिशत वैसे विक्रय दस्तावेजों से विनिश्चित किया गया हो, जहाँ उच्चतर मूल्य का भुगतान किया गया है, के आधार पर उक्त भूमि का प्रति इकाई क्षेत्र मूल्य विनिर्दिष्ट करेगी तथा समाहर्त्ता तदनुसार अर्जनाधीन भूमि के मूल्य की गणना करेगा।

कृ0पृ0उ0

4. बिहार भू–अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनर्वास नीति– 2007 राजस्व विभागीय संकल्प सं0– 747/रा0, दिनांक 13.05.08 के अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे।

5. यह आदेश दिनांक 19.02.07 से ही प्रभावी माना जायेगा।

आदेश– एतत् द्वारा आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का विस्तृत प्रचार–प्रसार करते हुए इसकी प्रति बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशित की जाय और सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच प्रचारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/- 1.1.2010

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 15/डी0 एल0 ए0 नीति (पुनर्वास) 07/06 (खण्ड) :..01..../रा0, दिनांक ...01-01-10

प्रतिलिपिः– अधीक्षक सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन बिहार गजट के अगामी अंक में करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ शीध्र भेज दी जाय।

ह0/- 1.1.2010

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 15/डी0 एल0 ए0 नीति (पुनर्वास) 07/06 (खण्ड) ...01..../रा0, दिनांक ...01-01-10

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/सभी अपर समाहर्त्ता/निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/सभी विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी समाहर्त्ताओं से अनुरोध है कि इस संकल्प की सूचना अपने स्तर से उनके क्षेत्र में चल रहे परियोजनाओं से संबंधित अधियाची विभाग के पदाधिकारियों को दे दी जाय।

ह0/- 1.1.2010

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव।